(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 13 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 27 जुलाई, 2017

विषयः– प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को तरजीही कोटा चीनी के निर्यात के लिए मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2018 (1 अक्तूबर, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) कोटे में से खांड (98 डिग्री पोल पर) के 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) की मात्रा का आबंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं0 3/2015–20, दिनांक 20.4.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन ''मुक्त'' है तथा दिनांक 16.06.2016 की राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 37/2016–सीमा शुल्क के अनुसार 16.06.2016 से खांड, सफेद चीनी, या परिष्कृत चीनी के निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क लागू है।

3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण–पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं0 3/2015–2020, दिनांक 20.4.2015 द्वारा यथाअधिसूचित रिपोर्टिंग की आवश्यकता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.9.2018 तक निर्यात किए जाने के लिए 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/879/एएम 08/निर्यात सैल/पार्ट से जारी)